

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तादाई  
(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगनेर मुकाम जयपुर व  
इजलास महीपाल सिंह, आर.ए.एस.  
वाद पत्र संख्या : 200/2022

1. गोपाल लाल गोयल पुत्र केदार लाल गोयल, जाति महाजन, निवासी बी-10, तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलोनी, जयपुर।
2. राधारमण पुत्र श्री रामनारायण, जाति महाजन, निवासी 53, जनता कॉलोनी, जयपुर।
3. कृष्ण कुमार पुत्र केदार लाल, जाति महाजन, निवासी बी-10, तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलोनी, जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. हरेकृष्णा होटल्स प्रा० लि० जरिये डायरेक्टर ओमप्रकाश मोदी, पता ए-1, गणपति एन्क्लेव, अजमेर रोड, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा व घोषणा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय सांगानेर व हाजिरी वकील वादीगण मिन जानिब मुदई रूबरू मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि अतः वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर 278 रकबा 0.57 है० वाके ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, पटवार हल्का कल्याणपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है का विभाजन मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज					
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारों का नाम व पिता का नाम
1	278	0.5700			गोपाल पुत्र केदारलाल हि. 25/76 कृष्ण कुमार पुत्र केदारलाल हि. 5/76, राधारमण पुत्र रामनारायण 5/38 जाति महाजन, नि. बी 10, तुलसीराम की बगीची, जनता कॉलोनी, जयपुर, हरे कृष्णा होटल्स प्रा.लि. हि. 11/13 जरिये डायरेक्टर ओमप्रकाश मोदी ए-1, गणपति एन्क्लेव, अजमेर रोड, जयपुर
	किता-01	0.5700			

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रस्तावित कुर्रेजात इन्द्राज				
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारो का नाम व पिता का नाम	किस्म
1	278 मिन	0.3000	गोपाल पुत्र केदारलाल हि. 5/8 कृष्ण कुमार पुत्र केदारलाल हि. 1/8, राधारमण पुत्र रामनारायण 1/8 जाति महाजन, नि. बी 10, तुलसीराम की बगीची, जनता कॉलोनी, जयपुर	
	किता-01	0.3000		
2	278 मिन	0.2700	हरे कृष्णा होटल्स प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर ओमप्रकाश मोदी ए-1, गणपति एन्क्लेव, अजमेर रोड, जयपुर	
	किता-01	0.2700		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.02.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत .....

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)



मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वहसबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	0

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हरदी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम: महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या: 200/2022

निर्णय दिनांक: 08.02.2024

उनवान

1. गोपाल लाल गोयल पुत्र केदार लाल गोयल, जाति महाजन, निवासी बी-10, तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलोनी, जयपुर।
2. राधारमण पुत्र श्री रामनारायण, जाति महाजन, निवासी 53, जनता कॉलोनी, जयपुर।
3. कृष्ण कुमार पुत्र केदार लाल, जाति महाजन, निवासी बी-10, तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलोनी, जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. हरेकृष्णा होटल्स प्रा० लि० जरिये डायरेक्टर ओमप्रकाश मोदी, पता ए-1, गणपति एन्क्लेव, अजमेर रोड, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं घोषणा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम 1955

निर्णय

पत्रावली पेश हुयी। वकील वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौरान बहस वादीगण अधिवक्ता ने वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया कि वादीगण द्वारा उक्त वाद वादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया, वादीगण उक्त भूमि की सहखातेदार है एवं उक्त भूमि का विभाजन करवाने की अधिकारी है। बहस वादीगण अधिवक्ता एवं पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनांक 19.05.2023 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियों में पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र क्रमांक भू.अ./डिक्री/2023/844 दिनांक 05.02.2024 संलग्न कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है। वकील वादीगण ने कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार वाद में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा कुर्रैजात रिपोर्ट पर सहमति दिये जाने से वादीगण का वाद मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट वाद में अन्तिम डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अतः वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर 278 रकबा 0.57 है0, ताके ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, पटवार हल्का कल्याणपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है का विभाजन मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज					
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
1	278	0.5700			गोपाल पुत्र केदारलाल हि. 25/76 कृष्ण कुमार पुत्र केदारलाल हि. 5/76, राधारमण पुत्र रामनारायण 5/38 जाति महाजन, नि. बी 10, तुलसीराम की बगीची, जनता कॉलोनी, जयपुर, हरे कृष्णा होटल्स प्रा.लि. हि. 11/13 जरिये डायरेक्टर ओमप्रकाश मोदी ए-1, गणपति एन्क्लेव, अजमेर रोड, जयपुर
	किता-01	0.5700			

प्रस्तावित कुर्रजात इन्द्राज				
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारो का नाम व पिता का नाम	किस्म
1	278 मिन	0.3000	गोपाल पुत्र केदारलाल हि. 5/8 कृष्ण कुमार पुत्र केदारलाल हि. 1/8, राधारमण पुत्र रामनारायण 1/8 जाति महाजन, नि. बी 10, तुलसीराम की बगीची, जनता कॉलोनी, जयपुर	
	किता-01	0.3000		
2	278 मिन	0.2700	हरे कृष्णा होटल्स प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर ओमप्रकाश मोदी ए-1, गणपति एन्क्लेव, अजमेर रोड, जयपुर	
	किता-01	0.2700		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावें। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),  
जयपुर।